मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

कुसुम

19 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम, 1954- मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई नियम, 1964- परिवीक्षा पर रिहाई - राज्य द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिन दोषियों की जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिए गए और जिनकी अपील, अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, वे परिवीक्षा पर रिहाई के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं - परिपत्र द्वारा, यहां तक कि रिहाई के लिए आवेदन करना भी अनअनुज्ञात था निर्धारित - परिपत्र रद्द होने योग्य है -परिवीक्षा पर रिहाई के लिए आवेदन करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है - आवेदन में निहित प्रार्थना को स्वीकार किया जाना है या नहीं यह अन्य प्रश्न है।

राज्य द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया था कि जिन दोषियों के जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए थे और जिनकी अपील, अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित थी वे परिवीक्षा पर रिहाई के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं थे। परिपत्र द्वारा यहां तक कि रिहाई के लिए आवेदन करना भी अनअनुज्ञात था।

उक्त परिपत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने उस परिपत्र को रद्द करते हुए कहा गया कि यह परिपत्र मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम, 1954 और मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई नियम, 1964 की तुलना में पूर्णतः सामान्य, अस्पष्ट व असंगत था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले का गलत अर्थ निकाला, जो कथित रूप से विचाराधीन परिपत्र का आधार था इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील खारिज की।

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले में केवल परिवीक्षा पर रिहाई के लिए विचार के मापदंडों पर प्रकाश डाला गया था, इसमें कभी यह नहीं माना कि परिवीक्षा पर रिहाई के लिए आवेदन करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा वैध रूप से परिपत्र को अवैध ठहराया गया है। आवेदन करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है। आवेदन में निहित प्रार्थना को स्वीकार किया जाना है या नहीं, यह अन्य प्रश्न है।

(पैरा 6 और 7) (413-एच ; 414 - सी, डी)

अरविंद यादव बनाम रमेश कुमार व अन्य (2003) 6 एसएससी 144, संदर्भित

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार:2007 की आपराधिक अपील सं. 913

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यू. पी. नंबर 2006 की संख्या 1618 के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.02.2006 से,

गोविंद गोयल, सी.डी. सिंह और सनी चौधरी अपीलकर्ता की ओर से

शिव सागर तिवारी एवं प्रियंका सिंह प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय जस्टिस डॉ. अरिजीत पसायत, द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में खंडपीठ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय में राज्य द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांकित 03.08.2005 को रद्द कर दिया था, को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में आइ.पी.सी.) के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्यर्थी ने मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम 1954 (संक्षेप में अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत रिहाई के लिए एक आवेदन दायर किया। महानिरीक्षक कारागार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.08.2005 के तहत जिन व्यक्तियों की अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, वे परिवीक्षा पर रिहाई हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। यह परिपत्र कथित तौर पर मध्य

प्रदेश उच्च न्यायालय एकल खंड पीठ ग्वालियर द्वारा 2004 की याचिका नंबर 241 दिनांकित 14.10.2004 में दिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया था।

प्रत्यर्थी की प्रार्थना को परिवीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 08.08.2015 को अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 29.10.2005 को उक्त प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति को मंजूरी दे दी गई। परिपत्र दिनांक 03.08.2005 की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्ट्या रूख यह था कि यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि पहले के मामले में खंडपीठ ने पूर्ववर्ती शर्तों की अवधारणा और कुछ दोषियों की परिवीक्षा पर रिहाई में अनियमितता को स्वीकार किया था। विशेष रूप से जिनके जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिए गए थे और उनकी अपीलें लंबित थीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त मामले में परिवीक्षा बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न था, क्योंकि कुछ मामलों में जहां जमानत की प्रार्थना खारिज कर दी गई थी, दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों ने परिपत्र दिनांकित 03.08.2005 द्वारा निर्देश दिया है कि परिवीक्षा बोर्ड को उन दोषियों के मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, जिनकी अपीलें उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसके अलावा रिहाई की मंजूरी के लिए दया याचिका पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार पूर्ववर्ती खंडपीठ का निर्णय, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अवैधता पर अंकुश लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन इस आशय का परिपत्र कि परिवीक्षा बोर्ड द्वारा

किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां अपील लंबित है, जारी नहीं किया जा सकता। दया याचिका पर विचार करने पर भी पूर्ववर्ती खंडपीठ द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसलिए इसे परिपत्र द्वारा निषिद्ध नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा कानून में विचार योग्य हो। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि परिपत्र पूरी तरह से अधिनियम और मध्य प्रदेश बंदियों की परिवीक्षा पर रिहाई नियम 1964 (संक्षेप में नियम) की तुलना में पूर्णतः साधारण, अस्पष्ट व असंगत था। यह भी गौर किया गया कि उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय का संबंधित अधिकारियों द्वारा गलत अर्थ लगाया गया था। परिपत्र को रद्द करते हुए रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मत व्यक्त किया कि पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय में व्यक्त टिप्पणियों और विचारों को तत्काल मामले में खंडपीठ द्वारा उचित रूप से विवेचन नहीं किया है। यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय ने उन दोषियों को रिहा करने की प्रथा की निंदा की थी जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इसलिए परिपत्र अवैध नहीं था और इसमें केवल वही शामिल था जो पहले के मामले में तय किया गया था।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती फैसले में आवेदन करने हेतु किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई गई थी। आवेदन को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह अन्य प्रश्न है लेकिन परिपत्र द्वारा आवेदन करना भी अनअनुज्ञात किया गया था।

6. खंडपीठ का अपने पूर्ववर्ती निर्णय में परिपत्र के आधार पर यह मत रहा है कि " यह उल्लेख किया जा सकता है कि पहले के आवेदन को अस्वीकार करने के बाद रिमांड के बाद बोर्ड ने इसी तरह का आदेश पारित किया है। आवेदन को अस्वीकार करते समय बोर्ड ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर विचार नहीं किया है, राज्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि किन कारणों से व्यक्तियों को पांच साल में रिहा किया गया है और उन्हें पांच साल या छह साल में रिहा करने का कारण क्या है? प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ परिवीक्षाधीनों की रिहाई में अनियमितताएं थीं, विशेष रूप से संगीन अपराधी जिनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है और उनकी अपील लंबित है, उन्हें भी रिहा कर दिया गया था। न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के बाद दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिये जाने बाबत् कई अपीलें देखी गई हैं। यह कृत्य परिवीक्षा पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाता है।"

7. खंडपीठ द्वारा विचार के मापदंडों को उजागर किया गया था। इसमें कभी यह नहीं माना कि आवेदन करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र को अवैध माना गया है। आवेदन करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है। आवेदन में निहित प्रार्थना को स्वीकार किया जाना है या नहीं, यह एक अन्य प्रश्न है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि एक आवेदन पर विचार करते समय इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अरविंद यादव बनाम रमेश कुमार व अन्य (2003) 6

एससीसी 144 में पारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जावे। निर्णय का पैरा 7 निम्नानुसार है :

> ‘‘इस तथ्य के अलावा कि विवादित निर्णय में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पीड़ित और पीडित परिवार जो दोषी के हाथों पीड़ित हुआ है, के भी कुछ अधिकार हैं। दोषियों को रिहा होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है। यह अधिकार अधिनियम एवं नियमों में वर्णित शर्तों के अधीन हैं। प्रोबेशन बोर्ड और राज्य सरकार को किसी दोषी को रिहा करने का निर्णय लेने या अस्वीकार करने से पहले प्रासांगिक कारकों पर विचार करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, प्रोबेशन बोर्ड ने रिहाई की सिफारिश नहीं की थी। राज्य सरकार ने बोर्ड के आदेश की पुष्टि की थी। रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विफल हो गई थी। खंडपीठ द्वारा किसी एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। रमेश कुमार के मामले में राज्य सरकार का रूख यह था कि उन्होंने छह लोगों के साथ मिलकर एक विधि विरूद्ध सभा का गठन करते हुए दिनांक 20.09.1994 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शशि मोहन यादव के बेटे जितेंद्र के तलवार, चाकू व गुप्ती से सत्रह चोटें कारित कर उसकी हत्या की तथा उक्त रमेश कुमार भारतीय दण्ड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के 14 प्रकरणों में मुलजिम था।

अपराध कारित करने का तरीका एक प्रासांगिक विचार है। दिए गए मामले में अपराध करने का तरीका भी इतना क्रूर होना भी अपने आप में रिहाई की शर्त को अस्वीकार करने का एक अच्छा एकमात्र आधार हो सकता है। रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए नियम एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। एक बार खारिज होने के बाद पुनः रिहाई बाबत् आवेदन दो साल बाद किया जा सकता है। गठित बोर्ड में राज्य सरकार के गृह सचिव या कोई अन्य अधिकार प्राप्त अधिकारी, जेल आई.जी. या डिप्टी आई.जी. और एक अन्य सदस्य शामिल हैं।''

8. अतः अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।